ANNUAL REPORT

2017-18

JAN KALYAN SAMAJIK SANSTHAN

Block No. 2 & 3, Kavita Complex, Kourinbhata , Rajnandgaon ,
Dist – Rajnandgaon (C.G.) India, Pin – 491441
Phone: 07744 292987 Email: jksssomni@gmail.com
Website: www.jankalyanindia.org

लिंक वर्कर स्कीम परियोजना

स्वास्थ्य शिविर

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर (छ.ग.) के सहयोग से जनकल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव, (छ.ग.) द्वारा संचालित लिंक वर्कर स्कीम परियोजना के अंर्तगत व जिला प्रशासन के

सहयोग से पलायनवादी लोगों के बिच तेजी से बढते एच आई वी/एड्स को ध्यान मे रखते हुए एच आई वी/एड्स संबंधित जागरुकता कार्यक्रम पलायनवादी स्वास्थ्य मेला का आयोजन राजनादगांव जिला के सवेदनशील गांवो मे ICTC मोबाईल वेंन के माध्यम से परियोजना के द्वारा वर्ष 2017–18 मे कुल 6330 लोगो का निः शुल्क एच.आई.वी. जांच,यौन रोग परीक्षण,उपचार की सुविधा मिला है। जिसमे 15 सवेदनशील एच.आई.वी.पाजीटिव पाया गया सभी को ART से जोडा गया । साथ ही स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था मे पांप्लेट्स, पोष्टर व कंडोम बांटा गया और स्वास्थ्य केंद्र के प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा निः शुल्क एच.आई.वी. जांच,यौन रोग परीक्षण,उपचार की सुविधा चिकित्सक सलाह, सामान्य दवाईया एंव जांच ,पांप्लेट्स, पोष्टर व कंडोम बांटा गया और स्वास्थ्य केंद्र के प्रशिक्षित डॉक्टर, परामर्शदाता व लैब टेक्निशियन द्वारा निःशुल्क परामर्श व एच आई वी कि जांच कराया गया।

(Condom Promotion) कंडोम प्रोत्साहन

लिंक वर्कर परियोजना अंतर्गत कंडोम प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण घटक है । जिसके दवारा लक्षित समूह के लोगो को कंडोम की उपयोगिता को जाना है एवं असुरक्षित यौन व्यवहार को त्यागकर सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनाया है । कंडोम प्रोत्साहन अंतर्गत कंडोम वितरण , कंडोम डेमो, रिडेमो, कंडोम आउटलेट इत्यादि प्रमुख हैं । संस्था द्वारा वर्ष 2017–18 23732 निःशुल्क व 7712 सोशल मार्केटिग कंडोम का लक्षित समूह को वितरण कराया गया है जो कुल लक्ष्य का 90% है। परियोजना अंर्तगत विभिन्न 100 गांवो मे कुल 200 निःशुल्क कंडोम आउटलेट स्थापित किया गया है।

लिकंवर्करो का क्षमता विकास प्रशिक्षण

लिंकवर्कर योजना राजनांदगांव अंर्तगत लिंकवर्करों मे कौशल एवं दक्षता का विकास करने के उद्वेश्य से पुराने कार्यरत लिंकवर्करों का एवं नव नियुक्त लिंक वर्करों का एक दिवसीय दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है जिसमें सभी कलस्टर से पंराने एवं नये लिंकवर्करों ने भाग लिया।

1. एच.आई.वी/एड्स की जानकारी (चार कारण व बचाव के उपाय)
2. एच.आर.जी.,सेतु जनसंख्या एवं संवेदनशील जनसंख्या
3. कण्डोम की उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में

4. यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई) का कारण व उससे सुरक्षा
5. लिंक वर्कर की भूमिका (रिपोंसिबिलिटी आफ लिंक वर्कर)

लिंक वर्कर स्कीम मूल रूप से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति (नाको) के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका छत्तीसगढ राज्य में इस योजना को संचालित करने हेतु छत्तीसगढ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसेक्स) को अधिकृत किया है राजनांदगांव जिले में इस कार्यक्रम को संचालित करनें के लिए जिले के पंजीकृत गैंर सरकारी संगठन जनकल्याण सामाजिक संस्थान राजनांदगांव का चयन किया है इन सभी बातों को लिंक वर्करों को बताया ।

रेड रिबन एवं हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम

आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर (छ.ग.) के सहयोग से जनकल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव, (छ.ग.) द्वारा संचालित लिंक वर्कर स्कीम के अंर्तगत जय स्तम्भ चौक राजनांदगांव के पास मे टेण्ट लगा करके रेड रिबन एव हस्ताक्षर अभियान के द्वारा लगभग 2000 लोगों को एच.आई.वी. एवं एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम मे मुख्य रूप से सचिन सिंह बघेल अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजनांदगांव, महापौर माननीय श्री मधुसुदन यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, अमलेन्दु हाजरा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं लोकपाल मनरेगा राजनांदगांव, शिशुपाल खोब्रागढ़े, अध्यक्ष समता जन कल्याण समिति, क्रांति बंजारे सदस्य जिला पंचायत राजनांदगांव के द्वारा हस्ताक्षर कर रेड रिबन लगाकर जन समुदाय को एच0आई0वी0/एड्स के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। एड्स एक गंभीर बिमारी हैं, जिसे केवल जागरूकता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता हैं। संस्था के द्वारा जय स्तम्भ चौक राजनांदगांव मे एक फोल्डींग टेंट लगाया गया था। इस स्टाल के माध्यम से आस पास मे उपस्थित लोगों को आइ. ई. सी. मटेरियल का वितरण करते हुए एवं उनके कपड़ों मे रेड रिबन लगाते हुए उन्हे एच.आई.वी. एवं एड्स के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम अंर्तगत स्टाल मे साउंड बाक्स एवं माईक का व्यवस्था किया गया था जिसके माध्यम से लिंकवर्करों द्वारा निरंतर एच.आई.वी. एवं एड्स से मुक्ति का नारा लगाया जा रहा था एवं इन नारों के साथ साथ उपस्थित जनसमूह को एच.आई.वी.

एवं एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए एच.आई.वी. संक्रमण के चार कारण एवं एच.आई.वी. संक्रमण से बचाव के चार तरीको के बारे मे निरंतर माइक के माध्यम से बताया जा रहा था ।

एच.आई.वी. ⁄ एड्स जागरूकता रैली कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा संचालित लिंक वर्कर स्कीम (परियोजना) के अंतर्गत ब्लॉक राजनांदगांव में ग्राम, बोरी,भेड़ीकला ब्लॉक डोंगरगांव में खुज्जी, बीजाभाठा, उरईडबरी, ब्लॉक डोंगरगढ़ में ग्राम मेढा, बेलगांव छुईखदान में झुरानदी, ब्लाक खैरागढ़ मे भैंसातरा, अमलीडीहकला में संगोष्ठी व रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया।रैली मे उपस्थित जनसमूह एवं विद्यालयीन छात्र–छात्राओं को यह बताया गया कि आज विश्व एड्स दिवस है और आज के दिन पूरी दुनिया में एच.आई.वी. ⁄ एड्स से लड़ने का एवं समाज को एच.आई.वी. ⁄ एड्स मुक्त बनाने का संकल्प लिया जाता है और यही कार्य हम सबको भी करना है। इस रैली को प्रारंभ करने से पहले सभी रैली स्थानों पर एक परिचर्चा रखा गया था जिसमे बताया गया कि लिंकवर्कर स्कीम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्रायाजित कार्यक्रम है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्वेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी. एवं एड्स के बारे मे जानकारी प्रदान करके ग्रामीण समुदाय मे विशेषकर उच्च जोखिम समूह एवं युवा वर्ग में जागरूकता लाना एवं ल क्षित समुदाय को सेवाओं से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु राजनांदगांव जिले के 100 ग्रामों का चयन किया गया है एवं यह ग्राम 06 ब्लाक से परियोजना के लक्ष्य के आधार पर चयन किया किया गया है। जिसके अंर्तगत राजनांदगांव ,डोंगरगांव, छुरिया, खैरागढ़, डोंगरगढ़ एवं छुईखदान ब्लाक सम्मिलित है। अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सभी लिंक वर्कर्स द्वारा लोगों को रेड रिबन लगाया गया। इसकें बाद गांव में रैली निकाला गया इस रैली में आई.ई.सी मटेरियल्स वितरण किया गया एवं नारों के साथ रैली का सफलता पूर्वक संचालन किया गया । आज यह कार्यक्रम पूर्व तैयारी के अनुसार निर्धारित स्थानों में चयनित ब्लाक के अन्तर्गत जिन ग्रामों में किया गया वे इस प्रकार है– लिंक वर्कर स्कीम (परियोजना) के अंतर्गत ब्लॉक राजनांदगांव में ग्राम, बोरी,भेड़ीकला ब्लॉक डोंगरगांव में खुज्जी, बीजाभाठा, उरईडबरी, ब्लॉक डोंगरगढ़ में ग्राम मेढा, बेलगांव छुईखदान में झुरानदी, ब्लाक खैरागढ़ मे भैंसातरा, अमलीडीहकला में संगोष्ठी व रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहां रैली कार्यक्रम मुख्य रूप से वालेंटियर्स, स्टेक होल्डर्स की सहभागिता से हुआ। ग्राम भ्रमण के दौरान रैली में सम्मिलित समुदाय जन एवं ग्राम के हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्तर के छात्र–छात्राओं ने बैनर, पोस्टर व नारों के माध्यम से एच.आई.वी. ⁄ एड्स की जागरूकता का प्रसार किया। उक्त कार्यक्रम में पंचायत के सरपंच अन्य पंचायत सदस्य, मितानीन व स्व सहायता समूह के सदस्य सम्मिलित हुए। एच.आई.वी. ⁄ एड्स की जागरूकता प्रसार करते हुए लिंक वर्कर ने आई.ई.सी. मटेरियल वितरित भी किया।

संगोष्ठी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा संचालित लिंक वर्कर स्कीम के अंर्तगत राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ एवं छुईखदान ब्लाक के ग्रामों मे संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में जोनल सुपरवाईजर भीमसेन साहू , दीपक साहू बीजाभाठा, उरईडबरी मे संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों को यह बताया गया कि आज विश्व एड्स दिवस है और

आज के दिन पूरी दुनिया में एच.आई.वी./एड्स से लड़ने का एवं समाज को एच.आई.वी./एड्स मुक्त बनाने का संकल्प लिया जाता है और आज हम सबको भी यह संकल्प करना है कि हम सब मिलकर समाज को एच.आई.वी./एड्स से मुक्त करायेंगे। यह सगोष्ठी कार्यक्रम जिला राजनांदगांव के विभिन्न स्कूल मे संगोयठी कार्यक्रम का आयेजन किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों को यह बताया गया कि एड्स एक अवस्था है जिसका पूरा नाम इस प्रकार है **ए** – एक्वावर्ड (अनुंवाशिक) दूसरें से प्राप्त किया गया।**आई.** – इम्युनो – रोग प्रतिरोधक शक्ति।**डी** – डेफिसेन्सी –कमी।**एस** –सिन्डोम – संलक्षण । इसी प्रकार एच.आई.वी. संक्रमण के बारे मे बताया गया कि एच.आई.वी वायरस प्रांरभ समय सुस्त अवस्था में होता है। एच.आई.वी वायरस संक्रमण के सामान्य लक्षण हो सकते है – लम्बे समय से खॉसी आना, लम्बे समय से बुखार आना, लम्बे समय से दस्त होना, दिनों दिन वनज का घटना, भुख न लगना, अवसरवादी संक्रमण जनित विभिन्न रोग होना, अन्य रोग जो दवाई लेने से भी ठीक नही होना लेकिन यह जरूरी नही है कि उक्त लक्षण एच.आई.वी संक्रमण के ही हो क्योंकि ये दूसरे बिमारियों के भी लक्षण हो सकते है । यह मात्र रक्त जांच से ही पता चलता है कि एच.आई.वी संक्रमण है या नही। 3–6 माह के विण्डो पिरीयड को विस्तार से समझाया गया।

आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम

प्रस्तावना – **सर्व शिक्षा अभियान रायपुर, एवं यूनिसेफ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में जनकल्याण सामजिक संस्थान द्वारा आर.टी.ई. वांच कार्यक्रम राजनांदगांव जिले के 10 प्राथमिक शाला, 10 पूर्व माध्यमिक शालाओ में क्रियान्वयन किया जा रहा है आर.टी.ई. वांच क्या है ? आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम एक सतत सामजिक अंकेक्षण प्रक्रिया जो गुणवतापूर्व शिक्षा के लिए गैर शासकीय संसथाए ,शिक्षातंत्र, एवं समुदाय मिलकर निरंतर प्रयासरत है| इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा अधिकार कानून के**

मापदण्ड के अनुसार शाला के अधोसंरचना ,कक्षागत शिक्षण,और छात्रो के शैक्षणिक गुणवत्ता तथा शाला प्रबंधन समिति के सक्रियता आदि का आंकलन कर संबधित शाला स्तर, संकुल स्तर, विकासखंड स्तर,जिले स्तर, में साथ साझा किया जाता है,ताकि पालक ,शिक्षक,एवं समुदाय सभी की जिम्मेदारी सुनिचित हो सके,और प्रदेश में शिक्षा मित्र वातावरण निर्मित हो सके यह कार्यक्रम छतीसगढ़ राज्य के 23 जिलो में लगभग 850 शालाओ में 38 गैर शासकीय संसथाए अपने स्थनीय क्षेत्र में शैक्षणिक गुणवता को बढ़ाने में योगदान प्रदान कर रहे है|

आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम के उद्देश्य - शिक्षा के अधिकार कानून के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेना , शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का क्षमता वर्धन करना , शालाओ की बुनियादी सुविधाओ का अवलोकन एवं देखभाल करना , बच्चो के शैक्षणिक स्तर को देखना , कक्षागत प्रकियाओ का अवलोकन , शाला त्यागी व अप्रवेशी बच्चो को शाला से जोड़ना , बालिकाओ को शिक्षा का माध्यम से सशक्त करना ,शिक्षको का क्षमता वर्धन करना , समुदाय को शिक्षा के लिए जागरूक करना जनभागीदारी सुनिचिश्त करना , शिक्षा की गुणवता में वृधि के प्रयास करना , शिक्षा संसधान केंद्र विकसित करना

शाला अवलोकन - आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शालाओ में शाला प्रबंधन समिति ,आर.टी.ई.मित्र ,पालको ,ग्राम के सरपंच ,पंच ,मितानिन ,गाँव के वरिष्ट नागरिक के साथ मिलकर शाला के बुनियादी सुविधाओ ,बच्चो के शैक्षणिक स्तर पर कक्षा तीसरी एवं पांचवी के हिंदी व गणित ,विषय पर बच्चो की समझ जानने के लिए टेस्ट ली जाती है |

शाला प्रबंधन समिति को सक्रिया –

आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम के अंतर्गत शालायो में शाला प्रबंधन समिति के गठन प्रकिया में 1.पालको शिक्षको के साथ कार्य करना, 2.शाला प्रबंधन समिति को उनके कार्यो व जिम्मेदारीयो के प्रति जागरूक की जा रही है   3. प्रतिमाह बैठक में शामिल होकर बच्चो के शैक्षणिक स्तर,मध्यान्ह भोजन के गुणवत्ता ,अप्रवेशी ,अनियमित बच्चो को शाला से जोड़ना ,4.शाला संबंधित मुद्दों को ग्राम सभा में चर्चा कर प्रस्ताव को विभिन्न विभाग स्तर में पैरवी करने के लिए प्रोत्साहित की जा रही है |

रिपोर्ट साझा - आर.टी.ई.वाच कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओ में की गई अवलोकन के रिपोर्ट को शाला स्तर में संकुल स्तर में विकासखण्ड स्तर, में जिला स्तर में शिक्षको के साथ ,पालको के साथ ,ग्राम पंचायत ,ग्राम सभा बैठक में , विकासखण्ड शिक्षाधिकार ,जिलाशिक्षाधिकारी , जिलाधीश,के विभन्न मुद्दों पर पैरवी की जाती है |

शिक्षा संसाधन केंद्र :- शिक्षा संसधान केंद्र में किये जा रहे कार्यो के बारे में संकुल बैठक में शिक्षको के बीच साझा किया जाता है तथा उनसे भी सुझाव ली जाती है शिक्षा संसाधन केंद्र में बच्चो को खेल की गतिविधियाँ व शिक्षको , अभिभावकों को केंद्र में जोड़ने के लिए पूरी प्रयाश किया जा रहा है आर.टी.ई.मित्रो की समीक्षा बैठक किया जाता है जिसमे शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र की स्थपना , बच्चो को खेलो के माध्यम से जोड़ना जिसमे मित्रो के साथ खेल की गतिविधि भी की गई आग का दरिया ,नेता कौन ,बोल भाई कितने , रुमाल झपट बच्चो की सिखने सिखाने पर माताओं को शाला से जोड़ने पर चर्चा किया गया संकुल समन्वयक ,शाला प्रबंधन समिति के सदस्य में शामिल रहे है| केंद्र में लगातार घुमंतू परिवार के बच्चो जोड़ने के लिए एक्टिविटी किया जा रहा है इस प्रकार सिखने – सिखाने पर कार्य कर रहे है |

आदर्श पुस्तकालय – आर.टी.ई. वाच कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित पांच प्राथमिक शालाओ में आदर्श पुस्तकालय विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है क्योकि स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा अधिक मात्रा में कहानी ,कविता , नाटक ,चुटकुले ,सामान्य ज्ञान की पुस्तके दी गई है लेकिन शिक्षको से समन्वय बनाकर पेटी या आलमारी में बंद पुस्तको को बच्चो के उपयोग कर रहे है | सस्था द्वारा शाला के अतिरिक्त कक्ष और बरामदे में पुस्तकालय संचलित किया जा रहा है जहा पे रीडिग टेबल ,दरी , बच्चो के स्तर के कविता कहानी नाटक पुस्तके उपयोग के लिए दी गई है कक्षा पहली से पांचवी के बच्चो को मिला कर 12 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई है जिसमे शिक्षक और बच्चो की

सहमती से पुस्तकालय में पढने के लिए आधे घंटे की समय निर्धारित किया गया है और प्रति दिन हर कक्षा के बच्चे पुस्तक पढने जाते है समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि पुस्तको को व्यस्थित करना , बच्चे पुस्तके पढ़ रहे है उनका रजिस्टर में नाम लिखना , आवक जावक रजिस्टर का उपयोग करना और सभी बच्चो को कहानी कविता नाटक की पुस्तके पढने के लिए प्रेरित करते है इस पुरे गतिविधि में शिक्षक शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों पालको और आर.टी.ई. मित्रो की सहयोग मिल रहा है | बच्चे पुस्तकालय में सामूहिक पठन , चित्रों में चर्चा करना कहानी पढ़ कर सुनना और बच्चो से प्रशन करना, चित्र बनाने की गतिविधिया की जाती है |

संकुल ,विकासखंड , जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियो के साथ अच्छा समन्वयक स्थापित एवं शैक्षिक कार्यो के विषय में चर्चा करी जा रही है -संकुल केन्द्र सोमनी व सुंदरा में संकुल बैठको में सभी शाला के प्रधानपाठक के बीच में शैक्षिक कार्यो के विषय में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत हर माह के चर्चा पत्र पर चर्चा की जाती है संकुल स्तर पर पी.एल.सी.के गठन पर चर्चा की गई जिस के तहत सभी शिक्षको को पी.एल.सी की अवधारणा को बताया गया जिस के बाद में संकुल समन्वयक द्वारा सभी शिक्षको के सहमती ले कर 10 सदस्यों को पी.एल.सी के लिए चयन की गई |इस के साथ ही ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवता अभियान के बारे में चर्चा की गई जिस में निकलकर आया की जिस शाला में अवलोकन पत्र के अनुसार जो कमी हुई है उसमे ज्यादा काम कर उसमे सुधार लाने की बात की गई है |इसके बाद में समन्वयक द्वारा सम्पर्क फाऊडेसन के द्वारा दी गई गणित किट की शाला में नियमित उपयोग करने की बात की गई समन्वयक द्वारा बच्चो की मैखिक भाषा की गति को बढ़ाने के लिए आस –पास के वातावरण से बच्चो को अवगत कराने के लिए सभी प्रधानपाठक अपने शाला के स्टाप शिक्षको को कार्य करने के लिए प्रेरित करे| समन्वयक द्वारा शालाओ में जा कर बच्चो के दक्षताओ को जांचने का कार्य कर रहे है संकुल बैठक में शामिल होकर बच्चो के सिखने सिखाने जैसे विषयों में भी चर्चा की जा रही है जिस में सभी प्रधानपाठक द्वारा अपने अपने शालाओ में अनियमित ,कमजोर बच्चो को सामान्य स्तर में लाने के लिए किये जा रहे प्रयाशो पर भी चर्चा की गई जिसमे शिक्षको का कहना है की कमजोर बच्चे को

आगे की लाइन में बैठाते है ,बोलने के ज्यादा अवसर देना ,शाला की छोटी छोटी जिम्मेदारी देकर प्रोत्साहित करना ,होनहार बच्चो के बीच में बैठकर समझने में सहयोग कराना , अभिभावकों से नियमित चर्चा करना शिक्षको के साथ नियनित बातचीत की जाती है जिला शिक्षाधिकार श्री बी.एल,कुर्रे ,विकासखंड शिक्षाधिकार श्री फेरु राम वर्मा ,

विकासखंड सहायक शिक्षाधिकार श्रीमती संध्या मेडम, विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री शैलेन्द्र मिश्रा, विकासखंड सहायक शिक्षाधिकार.श्रीनिवास मिश्रा , संकुल समन्वयक श्री घनश्याम साहू , सी.के. साहू के साथ बच्चो की सीखने सिखाने, शाला की मुलभुत सुविधाओ पर चर्चा की जाती है

खेल खेल में समुदाय को शाला से जोड़ना

सर्वशिक्षा अभियान के मार्गदर्शन में यूनिसेफ रायपुर व प्रयोग समाज सेवी संस्था के सहयोग से जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा प्राथमिक शाला... तोरणकट्टा व अ भाठापारा. में बाल लर्निग व स्पोर्ट्स मेले का आयोजन किया गया | का प्रारंभ कार्यक्रम ज्ञान दास साहू राज कुमार ठाकुर , समूह की सस्दयो द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया प्रधानपाठक राजकुमार ठाकुर ने कार्यक्रम में होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गईलर्निग मेले | , रंगोली ,चित्रकलामिट्टी के खिलौने ,व्यक्तिगत स्वच्छता , हाथ धुलाई ,गीत , कविता,के बारे में सिखाया गया |इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चो को खेल –खेल में गणित स्वच्छता , स्वस्था , विज्ञान, ,शिक्षक ,जनप्रतिनिधि, समिति के सदस्यों की जानकारी देना है शाला प्रबंधन अभिभावक और बच्चो को शारीरिक शिक्षा कार्ड के किट के माध्यम से डिस एंड डूम ,निशाना साधना गोले में गेद से , शारीरिक शिक्षा कार्ड के उपयोग कर बच्चो को नियमित | चकमा देकर मारना जैसे खेल खेलाये गये मा, शारीरिक विकास, पढाई को रुचिकर, कमी शाला त्यागी में, शाला आनेस पेशियाँ मजबूत होगी और खेल के माध्यम से विषय वस्तुओ से जोड़ सकते है |शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लिलेश देवगान द्वारा बच्चो को सम्बोधित करते हुए संदेश दिया कि शाला में पढ़ाई के साथ- साथ

खेलकुद भी उतना ही जरुरी है जितना की पढाई   इस प्रकार की गतिविधियां करने से बच्चो मे अनुशासन ,एक दूसरे मे समानता का भाव, सामूहिक रुप से कार्य करने की भावना आती है। हमें बच्चों की कला व नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए माता पिता शिक्षक एवं समुदाय की जिम्मेदारी होती है। महिला ग्राम संगठन की प्रतिनिधि कुसुम साहू ने कहा कि शाला से पालको को जोड़ने के समूह की महिलाओ को खेल गतिविधि कराई गई प्रधानपाठक राम कुमार सिन्हा ने आरवांच .ई.टी. अभियान एवं आयोजकजनकल्याण सामाजिक संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बच्चो में हुनर को बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है । इस कार्यक्रम |मे कुल 217 बच्चो ने भाग लिये |आर मित्र.ई.टी.कुनेमन , प्रेमा निषाद, छाया दीक्षित, रीना देशमुख. , लक्ष्मी यादव, सवित्री देवगांन, साहूशिक्षक हेमंत ठाकुर खान सर , हरिश हुमेश्वर प्रसाद निषाद , राजेंद्र विश्वकर्मा (मैनेजर) एवं महिला समूह व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे

शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र की संचालन – आर.टी.ई.वांच कार्यक्रम के अंतर्गत जनकल्याण सामाजिक सस्थान द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना किया गया है जिसमे हर गाँव से चार लोगो को आर.टी.ई.मित्र के रूप में चयन की गई है इन आर.टी.ई.मित्रो को शिक्षा के अधिकार कानून के अनुपालन की स्थिति जायजा लेना, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को सक्रिया करना ,शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चो को शाला से जोड़ना ,साथ ही सामाजिक व्यवहार परिवर्तन , प्रारभिक भाषा शिक्षण (ई.जी. आर) के विषय पर प्रशिक्षित किया गया है | अपने केन्द्रों में बच्चो को खेलो से शेर बंदूक दिवार , आग का दरिया , बोल भाई कितने , गोल गोल धप , रुमाल झपट, खेल कर के बच्चे से जुड रहे है और बच्चो

के मौखिक अभिव्यक्ति को बढाने के लिए कविता , कहानी, चित्रों पर बातचीत करने से क्योकि बच्चे स्कूल आने के पूर्व ही विभिन्न प्रकार के चित्रों से प्ररिचित होते है जब बच्चे की चित्रों वाली पुस्तके मिलती है तो बहुत खुश होते है और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते है बच्चो में समझ के साथ पढ़ने की शुरुवात करने के लिए यह आवश्यक है की बच्चो के परिवेश में प्राप्त चित्रों पर बातचीत की

जाए बच्चो में समझ व आत्मविश्वास बढ़ता है प्रारंभिक कक्षाओ में सार्थक संदर्भ के अध्यापन में मात्त भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे बच्चे शाला से जुड़ाव होता है ,सिखने में बच्चो की सक्रिया सहभागिता होती है बच्चो को पढ़ने लिखने में आनंद आता है बच्चो के साथ में ड्राईग कराना , कविताओ को हावभाव के साथ किया जा रहा है , बच्चेभयरहित और तनावरहित वातावरण में सीखते है माताओं , शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्र के सुचारुरूप से संचालन के लिए मार्गदर्शन ली जा रही है |

अक्षय परियोजना

i.Lrkouk& जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा द कैथोलिक हेल्थ एसोसियेशन (चाई) के सहयोग से अक्षय परियोजना क्रियान्वित हो रहा । अक्षया जिसका अर्थ है (टीबी से मुक्त) भारत में टीबी की देखभाल और नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए एक सभ्य समाज की पहल है । इस परियोजना के माध्यम से गांवो को टीबी से मुक्त करने तथा लोगो तक कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओ को पहुंचाना है यह परियोजना पिछले 7 वर्षो से चल रहा है और वकालत , संचार ,और सामाजिक एकजुटता के माध्यम से भारत की राष्टीय टीबी नियंत्रण और टीबी सेवाओ को मजबूत बनाने पर ध्यान केद्रिंत किया गया । द कैथोलिक हेल्थ एसोसियेशन के द्वारा यह परियोजना महाराष्ट, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश , पंजाब और नागालैंड के 96 जिलो को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनो स्थानो पर चलाया जा रहा है, जिसमे गांवो को ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योकि गांवो मे जागरुकता की कमी होती है तथा गांवो के लोग संकोच वश इसे बताना नही चाहते तथा वे इसे छुपाते है जिससे यह बीमारी और भी बढ़ जाती है और यह एक संक्रामक बीमारी होने के कारण दूसरे लोगो को भी इससे खतरा रहता है । अक्षय प्रोजेक्ट के माध्यम से संस्था के द्वारा गांवो मे वहां के स्वयं सहायता समूहो , मितानिनो , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य ग्रामीण लोगो को इकटठा करके क्षय बीमारी के संबंध मे जानकारी अक्षय मित्रो के माध्यम से दी जाती है तथा जिसको भी इसके लक्षण दिखाई देते है उसका बलगम की जांच कराने की सलाह दी जाती है जिसमे वह स्वयं जाकर अपना बलगम जांच करवा सकता है या फिर अक्षय मित्र के माध्यम से बलगम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या डीएमसी जहां पर बलगम जांच होता है वहां पर ले जाया जाता है।

GKS मीटिंग – अक्षय प्रोजेक्ट के माध्यम से गांवो मे टीबी से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गांवो मे मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिया जाता है यह मीटिंग गांव मे बनाई गई

महिला समूह , मितानिन , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , तथा अन्य एस एच जी समूहो के साथ लिया जाता है मीटिंग का उद्देश्य होता है कि इन समूहो के लोगो के माध्यम से अपना जो संदेश है वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति , हर परिवार तक सुलभता के साथ पहुंचाना रहता है मीटिंग मे उपस्थित लोगो को टीबी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है ताकि टीबी के संबंध मे लोगो मे जो भी भ्रांतियां है उसे खत्म करके लोगो तक सही संदेश पहुंचाया जा सके, तथा लोग स्वयं जागरुक होकर अपने से सामने आये और ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे जो टीबी के हो सकते है तो वह अपना बलगम जांच अवष्य कराये साथ ही गांव के अन्य लोगो तक यह संदेश पहंचाये कि टीबी केवल एक बीमारी है जो 6 माह के इलाज से पक्का ठीक हो जाएगा ।

v{k; lokn अक्षय संवाद इस प्रोजेक्ट की ऐसी गतिविधि है जिसमें लोगो के घरो मे जाकर वहां के सभी सदस्यो को एक साथ इकट्ठा कर उनसे टीबी के संबंध मे चर्चा की जाती है तथा उन लोगो को

टीबी की जानकारी दी जाती है ताकि इस बीमारी के संबंध मे किसी भी प्रकार का कोई संदेह न रहे और लोग इसको समझ कर इसका पूरा इलाज कराये अक्षय संवाद के माध्यम से लोगो को टीबी बिमारी को इस प्रकार समझाया जाता है जिससे लोग इसके बारे मे गलत जानकारी न रखते हुए साथ ही किसी प्रकार का संदेह न रखते हुए इसका जांच समय रहते हुए कराये तथा अगर पॉजीटिव आता है तो वह उसका इलाज भी पूरा करवा सकें।

v{k; lokn	v{k; fe=	cyxe tkp	Vh-ch-ikftfVo
1882	45	84	17

LQVe dyD'ku ,o tkp %&स्फूटम कलेक्शन अक्षय प्रोजेक्ट का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है जिससे ही हमारी कार्य क्षमता का पता चलता है साथ ही साथ गांवो मे हमारे कार्यक्रम का प्रभाव किस स्तर पर पड़ रहा है यह भी स्फूटम जांच के बाद ही पता चलता है । हमारे द्वारा स्फूटम कलेक्शन गांव

मे किए जा रहे अक्षय संवाद से चिन्हाकिंत किए गए लोगो का करवाया जाता है बलगम जांच के लिए लोगो के बलगम को अक्षय मित्र के द्वारा नजदीक के डीएमसी तक पहुंचाया जाता है इसके लिए ऐसे लोग जिनका चिन्हाकंन अक्षय संवाद से किया जाता है उन्हे बलगम निकालने के लिए एक डिब्बा दिया जाता है तथा उन्हे किस प्रकार का बलगम निकालना है यह बताते हुए सुबह का बलगम निकालने की सलाह दी जाती है और फिर अक्षय मित्र द्वारा उस बलगम को उसी सुबह जांच के लिए ले जाया जाता

Ekjh tk rFkk fMQkYVjk l s eqykdkr ¼& अक्षय प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक गतिविधि उन मरीजो से मुलाकात भी है जिनका दवाई जारी है तथा उन लोगो से मिलकर उन्हे उचित सलाह भी दी जाती है ऐसे मरीजो को समय पर दवाई लेने तथा उचित खानपान की सलाह दी जाती है और बीच बीच मे इनसे मुलाकात किया जाता है । इसके साथ साथ ऐसे मरीजो से भी मुलाकात किया जाता है जो बीच मे ही दवाई छोड़ देते है इन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे दोबारा अपना बलगम जांच कराए तथा यदि उन्हे दोबारा दवाई खाने की सलाह दी जा रही है तो वे अपना पुनः इलाज शुरु कराये और इस बार अपना पुरा इलाज कराए ताकि वह स्वयं तो स्वस्थ्य रहे साथ ही उसके साथ उनके घर के अन्य लोग खासकर बच्चो के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा ।

RHCP डॉ. से मुलाकात :— गांव मे कार्य कर रहे ऐसे डॉ. अक्षय प्रोजकक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उनसे मुलाकात कर टीबी के बारे मे चर्चा किया जाता है तथा ऐसे मरीजो को जिसमे टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हो उन्हे अक्षय प्रोजेक्ट से जोड़कर बलगम जांच कराने के लिए नजदीक के डी.एम.सी मे भेजने की सलाह दी जाती है जिससे हमे टीबी मुक्त भारत बनाने मे मदद मिल पाये या जो मरीज वहां तक नही जाने मे असमर्थ है उसके बारे मे अक्षय मित्र या हमे बताए ताकि हम स्वयं उसका बलगम जांच के लिए ले जा सके।

v{k; xke ¼& अक्षय ग्राम वह ग्राम होता है जहां पर टीबी मरीज ज्यादा पाया जाता है वहां पर गांव मे जाकर सरपंच, पंच, मितानिन तथा समूहो के लोगो को इकट्ठा करके टीबी के संबंध मे चर्चा की

जाती है । वहां पर टीबी के बढ़ रहे प्रभाव पर इन सभी लोगो से चर्चा किया तथा वहां पर अक्षय परियोजना के माध्यम से किस प्रकार करके हम गांव को टीबी से मुक्त कर सकते है इस पर लोगो से सुझाव तथा उनसे हमारी इस कार्य मे सहयोग के लिए प्रार्थना भी किया गया । राजनांदगांव ब्लॉक से ग्राम बरगा व डुमरडीहखुर्द को अक्षय ग्राम के लिए चयनित किए है तथा वहां हमारे द्वारा गांव के टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है यहां गांव के लोगो के जानकारी के लिए एक अक्षय बोर्ड भी लगाया गया है ।

क्षेत्र अध्ययन रिपोर्ट

जिलां - राजनांदगांव विकासखण्ड मानपुर के अतंर्गत आनेवाले ग्रम पंचायत सीतागांव के पटेलपारा में सरपंच, सचिव, ग्रम के वरिष्ठ नागरिक, महिला-पुरूष एवं बच्चे तथा शिक्षित बेरोजगारों तथा साथी सामाजिक संस्थान, कोंडागांव की उपस्थिति में महात्मागाँधी राष्ट्रीय रोजगार गॉरण्टी योजना के कियान्वयन के संदर्भ में ग्रम के एक वृक्ष के नीचे कार्यक्रम की रूप रेखा एवं कार्यो के ऊपर ग्रमीणों की सहभागिता से मनरेगा पर समझ बनाने एवं ग्रम की समस्या के संदर्भ में कार्यो के क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया तथा पी.आर.ए. के तहत ग्रम सीतागांव के संसाधन व सामाजिक बसाहट का भ्रमण कर, कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से ग्रमीणो की सहभागिता से पी.आर.ए. किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रेरणा गीत के द्वारा किया गया तत्पश्चात एक–दूसरे से परिचय प्राप्त कर मनरेगा पर बातचीत किया गया जिसमें मनरेगा कानून की जानकारी जॉब कार्ड एवं कार्य माँग, बेरोजगारी भत्ता, मजदुरी भुगतान, लिंग–भेद, बैंक खातो की जानकारी, पर्याप्त कार्य, कार्य अवधि बढ़ाने संबंधी ग्रमीणों के साथ विस्तार से चर्चा किया गया।

मानचित्र को चार्ट पेपर में बनाकर इस मानचित्र के आधार पर निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया तथा मनरेगा पर कार्य योजना तैयार किया गयाः–

1. किये कार्यो की भौगोलिक जानकारी।
2. किये कार्यो की कार्यो की गुणवत्ता ।
3. कार्यस्थल की जानकारी व कार्यो की कुल संख्या।

4. कार्यो की प्राथमिकीकरण।

ग्रमीणों की सहभागिता बढ़ाने सर्वप्रथम जनकल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव के मास्टर ट्रेनर किशन सिंह साहू ने रोजगार गॉरण्टी से संबंधित गीत के माध्यम से आम जनों को प्रेरित किया तथा विस्तार से मनरेगा कि जानकारी तथा कानून मुख्य प्रावधानों की जानकारी पर प्रकाश डाला तथा मनरेगा से संबंधित कानून के संदर्भ में ग्रमीणों के साथ बातचीत किया गया जिसमें विशेष रूप से मनरेगा स्थल के कार्यो का चुनाव, समय पर मजदुरी भुगतान, समय पर कार्य, 150 दिनों के कार्यो पर बताया गया कि पूरे समय कार्य नहीं मिलता जिससे बेरोजगारी बनी रहती है व जीवन यापन में कठिनाई होती है तथा घर के सभी वयस्क सदस्यों को काम नहीं मिलता हितग्रहियों ने सही समय में कार्य उपलब्ध होना तथा सही समय पर मजदुरी मिलने की बात कहीं। ग्रमीण कार्य करने के लिए हर समय तैयार है सरकार सही समय में पर्याप्त कार्य नहीं देती न समय पर मजदुरी भुगतान होता है बैंको का चक्कर लगाना पड़ता है जिससे समय व पैसे अधिक खर्च होते है तथा कई बार बिना मजदुरी लिए बैंक से वापस लौटना पड़ता है।

नोटः–

- सही समय पर लोगो को कार्य नहीं मिलता तथा पर्याप्त मजदुरी नहीं मिलती जिनके कारणवश उन्हे कठिनाई होती हैं।
- मनरेगा के कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है।
- मनरेगा की सूचनाओं के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

मनरेगा में गैर–भागीदारी

महात्मागाँधी रोजगार गॉरण्टी योजना के तहत ग्रम में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मनरेगा क्या है उसके बारे में जानकारी दी गई। जॉब कार्ड, स्वास्थ सुविधा, कार्यो का प्रस्ताव, स्वीकृति, पर्याप्त कार्य नहीं मिलना, मनरेगा का कार्य दिवस, भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, कार्य की माँग, कार्य स्थल, मनरेगा एक कानून है इसकी जानकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी लिया गया, जिसमें ग्रम के जॉब कार्डधारी महिला–पुरूषों ने भाग

लिया।

- जॉब कार्ड कार्य स्थल पर नहीं भराया जाता इसको नियमित भरने की जरूरत है।
- कार्य स्थल पर स्वास्थ सुविधाएँ उपलबध नहीं रहता।
- ग्रमसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी का न होना।
- मनरेगा के कार्यो की स्वीकृति सही समय पर नहीं मिलना।
- मनरेगा के तहत पर्याप्त काम नहीं मिलता, कार्य दिवस को बढ़ाया जाना चाहिए।
- मनरेगा के बेरोजगारी भत्ता के संदर्भ में तथा आवेदन की जानकारी का अभाव।
- मनरेगा एक कानून है जिसकी जानकारी का न होना।

डेवलपमेंट इनिसिटिव इन छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय स्तर पर संगठन संचालन की प्रकिया पर दो दिवसीय बैठक

डेवलपमेंट इनिसिटिव इन छत्तीसगढ़ कासा के मार्गदर्शन में जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा ग्रम अड़मागोंदी में दो दिवसीय बैठक सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। जिसमें मोहला वि.ख. के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत के 22 गांवों के संगठन अध्यक्ष एवं एक सदस्य को संगठन संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी गई । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन अपने अधिकारो व कर्तव्य को अच्छी तरह समझ सके तकि संगठन का संचालन ठीक तरह से हो, सभी 22 परियोजना क्षेत्र के गावों में संगठन बना हुआ है, जो ग्राम विकास मंच अपने स्तर पर कार्यरत है, गांव के विकास को मुख्यधारा से जोडने के लिए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। संगठन क्या हैः– संगठन एकता का प्रतीक है। जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता वह संगठन के माध्यम से किया जा सकता है, संगठन एक बुद्धि जीवि लोगों का समूह है। संगठन के माध्यम से हम किसी भी कार्य को अंजाम के तक पहुंचा सकते है। एकता में ताकत होती है। व्यक्ति से बड़ा संगठन है। गांव का संगठन पांच लोगों से शुरू होता है। तथा धीरे– धीरे लोग जुड़ते जाते है। संगठन के कार्यो पर चर्चाः– गांव व समाज के विकास के लिये व्यक्ति का संगठित होना जरूरी है। तथा संगठन का उद्देश्य लोगो के कल्याण एवं ग्राम विकास ही मापदण्ड होना चाहिए। संगठन समाज के हर वर्ग के लिये समान रूप से निःस्वार्थ भाव कार्य करना ।सबके साथ सबका विकास होना

चाहिए। ताकि संगठन कि एकता बनी रहे व लोग निरंतर संगठन से जुड़ते रहे, संगठन का संचालन सुचारू रूप से चले इसके लिए बीच–बीच में बैठके होना चाहिए तथा संगठन में पारदर्शिता ,नीति व सिद्धांत स्पष्ट होनी चाहिए, तभी संगठन मजबूत रहेगा ।सदस्य गजऊराम ने कहां संगठन का नियम कानून –गांव के विकास के लिये होना चाहिए। संगठन होना बड़ी मुद्दाः– प्रशिक्षक भरत राम मण्डावी ने कहां आज लोग अच्छे कार्यो व गांव के विकास के लिये नहीं सोचते सब अपने बारे में सोचते रहते है, समाज व गांव कैसे आगे बढ़े इसके लिये बहुत कम ही लोग सेाचते है। गांव वाले तो जैसे तैसे संगठन बना लेते है लेकिन संचालन कैसे होगा उसके बारे में नहीं सोचते, संगठन मजबूत तभी होगा जब लोग साथ बैठेगें व सोचेगें तथा अपने अधिकार को हम कैसे प्राप्त करेंगे इन विषयों पर चर्चा करेगें तभी गांव का विकास, समाज का विकास होगा। जो कार्य अकेले में नहीं हेाता वह संगठन से हो जाता है। प्रशिक्षक भारतराम मण्डावी से महाराष्ट्र के एक गांव में मेघालेखा का उदाहरण देकर वह लोगो की एकता एवं उनके द्वारा आत्म निर्भरता हो बताया ताकि लोग संगठन को समझ सके। गांव आज क्यों आत्म निर्भर है। उसका एक मात्र कारण है। कि वहां लोग संगठित है। तथा लोग एक दूसरे कि सहयोगी है।पश्चात मेघालेखा जैसे गांवो को संगठित होकर कौन–कौन बैठना चाहते है। इस बार माखनलाल – ककईपार, पुरानिक नेताम – केशला, कन्हैयालाल – शेरपार, चमरसिंग कलामें – परसूटोला ने संगठन बनाकर संगठन को मजबूत करने की बात कहीं।पश्चात किशन साहू समन्वयक ने कहां पहले भी संगठन था तथा एकता था कोई भी कार्यो को एक होकर करते थे तथा अंजाम तक पहुंचाते थें, लेकिन आज समाज शिक्षित हो गया संगठन भी एकता नहीं व्यक्ति लोककल्याण के बारे में कम अपने लिये ज्यादा सोचते हैं। इसलिये समाज या गांव के अंतिम छोर मे बारे में सोचना पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में किशन साहू ने ग्राम सभा को मजबूत करेगे ताकि गांव का विकास होगा सभी को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया ।

व्यक्तिगत दावा व सामुदायिक दावा

जनकल्याण सामाजिक संस्थान राजनांदगांव एवं कासा रायपुर के संयुक्त तत्वाधान मे वनअधिकार कानून 2006 पर एक दिवसीय कार्यशाला ग्राम केशला ग्राम पंचायत ककईपार वि.ख. मोहला मे की गई । इस प्रशिक्षण में ग्राम स्तर मे गठित वन अधिकार समिति के सदस्य, ग्राम विकास मंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत वन अधिकार दावा, सामुदायिक दावा की प्रक्रिया पर जानकारी देना था ,प्रशिक्षक के द्वारा बताया गया की सामुदायिक दावा क्या है और क्यो जरूरी है – वन अधिकार कानून 2006

में पारित हुआ जिसमे यह उल्लेख है कि 13 दिसम्बर 2005 तक निवासरत लोगो को ही व्यक्तिगत वनअधिकार कानून प्राप्त होंगे, जिसमे आदिवासी तथा गैर आदिवासीयो को शामिल किया गया है। इस अधिकार के तहत व्यक्तिगत वन पट्टा पति पत्नि के संयुक्त नाम से होता है तथा वे इस जमीन को बेच नही सकते वंशानुगत जमीन का उपयोग कर सकते है । ग्राम पंचायत मे वन समिति गठित होती है जिसमे 15 सदस्य होते हैं जिसमे 1/3 महिला सदस्यो के रहने का प्रावधान है, इसी समिति के माध्यम से व्यक्तिगत आवेदन का चयन करने के बाद उसे ग्राम पंचायत मे आवेदन कराया जाता है उसके बाद ग्राम पंचायत के ग्राम सभा मे उस पर चर्चा की जाती है। व्यक्तिगत वनअधिकार मे अधिकतम 10 एकड़ भूमि (4हेक्टेयर) दावा ग्राम पंचायत मे कर सकते है, इसी प्रकार सामुदायिक दावा पूरे गांव के लिए होता है जिसमें अपने गांव का नजरी नक्शा बनाकर जंगल की सीमा निर्धारित कर निस्तारी के लिए प्रयोग मे आने वाली चीजो जैसे– जलाउ लकड़ी ,जानवरो का चारागाह ,जड़ी–बुटी , पहाड़ो ,देवी देवताओ के रख रखाव ,गौण वनोपज ,जल स्त्रोत ,नदी तालाब आदि को चिन्हाकित कर ग्राम पंचायत मे लिखित रूप से आवेदन करना होता है। इस प्रशिक्षण मे ग्राम शेरपार, माटकसा, अंगारा, ककईपार ,अडमागोदी, परसुटोला,चंदन बिरही इत्यादि गांवो के वन समिति के सदस्य शामिल हुए ।

कमांक	ग्राम पंचायत	आश्रित गांव
01	शेरपार	डालाकासा
2		चंदन बिहरी
3	कुम्हली	जडगाटोला
4		बिरसिगटोला
5	मटेवा	बावडुटोला
6	अडमागोदी	परसुटोला
7		
8	ककईपार	बागदो
9	कलचुवा	कलचुवा

महिलाओं का संगठन स्तर पर बैठक –

प्रशिक्षण श्रीमति प्रमिला शर्मा ने महिलाओं को संगठित होने के लिए जागरूक किया गया । उन्होने आगे कहा कि जब तक हम संगठित नही होंगे तब तक अनपे अधिकारों के लिए लडाई नही लड सकते । हमको संगठित होकर अपनी लडाई स्वयं लडनी होगी। तथा एकता में हि ताकत है ।

ग्राम सभा ग्राम सभा स्तर की बैठक –

ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए , ताकि सरकार के कल्याण कारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिले साथ ही साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे व अपनी समास्याओं को वहॉ पर रखे जिससे उनकी समास्याओं को सुलझाया जा सके।

महिला नेतृत्व ट्रेनिग –

महिला नेतृत्व को हम कैसे आगे ले जाएगें तथा इनके लिए किन – किन बिन्दुओं पर चर्चा करना जरूरी है। इन पर विस्तार से चर्चा किया गया। तथा अपने अपने क्षेत्रों पर आ रही समास्या एवं प्रयास क्या किये। तथा किन किन चुनौतियों का सामना करना पडा । तथा संस्था से आप लोंगों को क्या अपेक्षाएं है। इस पर विस्तार से चर्चा किया।

महिलाओं को आगे आने के लिए लीडर बनना होगा और अपने हक एवं अधिकार को जानना होगा हमसे एक होकर साहस जुटाना पडेगा। तथा हम अनपे अधिकार के लिए लड सकते है। कानुन व शासन द्वारा दिए गये अधिकारों के बारे में जानना होगा जब तक हम अनपे हक अधिकार के संदर्भ में नही जानेगे तब तक हम अपनी लडाई कैसे लडेगे इसलिए यह जानना जरूरी है कि हमें क्या करना है। सरकार द्वारा महिलाओं को आगे लाने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। उसे जानना जरूरी है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ रही है।

ट्रान्जिट माईग्रेन्ट परियोजना

जनकल्याण सामाजिक संस्थान सेमनी, राजनांदगांव के द्वारा वर्ष 2015–16 में ट्रांजिट मांइग्रेट परियोजना का सफल संचालन किया गया । इस परियोजना का लक्ष्य मुख्य रूप से पलायनवादी लोगों को एच.आई.वी / एड्स विषय पर सेवाऐं देना है। **माइग्रेशन अस्थायी या स्थायी या अर्द्ध स्थायी रूप से बसने के इरादे से एक और गंतव्य की जगह के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र ;मूल स्रोत की जगह से लोगों के स्थानिक गतिशीलता है वहाँ एक प्रवास के लिए कारणों की विविधता हैं आर्थिक ;आजीविका आर्थिक असंतुलन रोजगार के अवसर आदि पर्यावरणीय कारकों ;सूखा जनसांख्यिकीय कारणों ;परिवार प्रवास युवा और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आंदोलन या राजनीतिक कारणों ;शरणार्थी आंदोलनों आदि इनमें से कुछ की उत्पत्ति से संबंधित कारक कारकों धक्का और गंतव्य की जगह ;कारकों खींच में दूसरों के अवसर हैं लंबी दूरी पर प्रवासन भी भी ट्रांजिट अंक नामक अस्थायी बंद हो जाता है शामिल है।**

कार्यक्षेत्र :– ट्रांजिट मांइग्रेट परियोजना का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन एंव बस स्टैण्ड है जहा से पलायन कारने वाले लोग निश्चित समय के लिए ठहरते है एंव कुछ समय के बाद वहा से चलें जातें है। **गतिशीलता और प्रवासन दो अलग अवधारणाओं रहे हैं गतिशीलता एक व्यक्ति की उत्पत्ति के स्थान से चलता रहता है। जब निर्माण यात्रा और वापस मूल करने के लिए पुणे में रहते हैं और मुंबई में काम करने वाले उदाहरण लोगों के लिए एक ही दिन या सप्ताह देता है दूसरी ओर प्रवासन समय का एक**

महत्वपूर्ण अवधि के लिए गंतव्य स्थान पर निवास की स्थापना उन लोगों को जो आंदोलन शामिल हैएप्रवासन मानव अस्तित्व ही जितनी पुरानी एक अत्यधिक जटिल मानव व्यवहार है नीचे बताए गए हैं जिनमें से कुछ कई और संयोजन कर रहे हैं

उददेश्य :– इस परियोजना का लक्ष्य मुख्य उददेश्य पलायनवादी लोगों को एच.आई.वी / एड्स विषय पर सेवाऐं देना है। जिसमें कांउसलिग,विभिन्न प्रकार के मांइग्रेट किट, इत्यादि सामिल है। आई.सी मअेरियल के माध्यम से अनेक लोगो को जनकारी प्रदान करना किया जा रहा है ताकि वे इस होने वाले संभ्भवित बिमारी से बचा जा सके तथा उन लोगो का समुचिते इलाज समय पर देकर उनके जीवन को बचाया जा सके तथा आम जनता में इस बिमारी के संम्बध में जागरूकता फैला जा सकें।

प्रणाली के माध्यम से उन भौगोलिक स्थानों में लागू किया जायेगा जहॉ प्रवासियों की उच्च मात्रा गंतव्य पर है। प्रवासी लक्षित हस्तक्षेप परियोजना समन्वयक, एएनएम / काउंसलर, आउटरीच कार्यकर्ता कम समय / पार्टटाईम लेखपाल और कार्यालय के प्रशासनिक सहायक और सहकर्मी साथी, डाक्टर, निम्न स्टॉफ संरचना के साथ पूरी तरह से बजट मॉडल के साथबनाई जायेगी।

प्रवासीयों को दी जाने वाली सेवाएं :– ट्रांजिट मांइग्रेट परियोजना के अंतर्गत प्रवसीयों को आई.सी मटेरियल वितरण ,कांउसलिग प्रदान करना ,कंण्डोम प्रदान करना,मांइगेंट कीट, कण्डोंम डेमो रिडोमों इत्यादि दिया जाता है तथा उन्हें इस बिमारी के संम्बध में उचित संवा प्रदान किया जाता है जो पूर्णता निःशुल्क दिया जा सकता है। प्रवासियों को दी जाने वाले जानकारी इस प्रकार है आउटरीच मांइग्रेट को पुरे साल भर 52495 लोागों को कवर किया गया।

स्टेकहोल्डर मिटिंग का आयोजन :– वर्ष 2017 – 18 में 85 स्टेकहोल्डर मिंटिग का आयोजन किया गया । परियोजना के अंर्तगत साप्तहिक एंव मासिक स्टेकहोल्डर मिटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें परियोजना के द्वारा बनाये गये स्टेकहोल्डरों को साप्तहिक एंव मासिक मिटिंग में बुलाकर उन्हें इस परियोजना से जोडने एंव परियोजना को बेहतर परिके से सलानें के उददेश्य से स्टेकहोल्डर को जोडा गया ।

उपलबधियॉ :– वर्ष 2017 – 18 में 1479 लोगों के साथ समूह चर्चा किया गया तथा 5786 वापसी आने वाले एंव 9439 यहा से जाने वाले प्रवासियों को इस परियोजना का लाभ हुआ जिसमें 5524 महिला माइगेंट एंव 3084 पति पत्नि जोडो को लाभ हुआ तथा 18000 से ज्याद सामान्य लोगो को इस परियोजना से लाभ हुआ ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम

राजनांदगांव– जनकल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के

उपलक्ष्य में राजनांदगांव जिला के विभिन्न स्थानों पर रैली व संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकार एवं उनके दायित्वों के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें कार्यक्रम राजनांदगांव ब्लॉक के ग्रम–लिटिया, खैरागढ़ ब्लॉक के ग्रम–भैंसातरा, डोगंरगढ़ ब्लॉक के ग्रम–मोतीपूर, छुईखदान ब्लॉक के–उदयपुर, डोगंरगांव ब्लॉक के ग्रम–नांदिया एवं सांगीनकछार इत्यादि स्थानों में महिला सशक्तिकरण हेतु संस्था

के द्वारा इन सभी ग्रामों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी महिलाओं को अवगत कराया गया साथ ही साथ यह भी बताया गया कि आज महिलाएं समाज में अपनी भुमिका एक महत्वपूर्ण ढंग से निभा रही है और परिवार के साथ–साथ समाज के विकास में भी अपना दायित्व का निर्वाह कर रही है, महिलाओं के सगंठन के माध्यम से आज महिलाएं आजीविका से जुड़ी है और अपना परिवार का पालन–पोषण कर रही है, सभी महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी गयी, ग्राम सांगीनकछार की महिला सरपंच ग्रामीण महिलाओं को अपना उदाहरण देते हुए बतायी की आज महिलाएं जो है पुरूषों से कम नहीं है, महिलाएं भी आज समाज के विकास के लिए कुछ कर सकती है, और समाज में अपना एक अच्छा स्थान स्वयं बना सकती है, आज महिलाओं के संगढन के द्वारा प्रत्येक गांव में नशा मुक्ति के लिए सभी महिलाएं मिलकर प्रयासरत है वहीं डी.आर.पी., मितानिन कार्यक्रम के शशि सिन्हा ने जानकारी दी कि आज हम सभी महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सभी जगह कार्य कर रहे है और हम अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते है कार्यक्रम में महिला में महिला समूह के सदस्य ग्रामीण महिला, ग्राम के सरपंच श्रीमति सुमरीत बाई वर्मा, मितानिन, डी.आर.पी. गीता वैष्णव, शशि सिन्हा व संस्था के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा।

नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र

जनकल्याण सामाजिक संस्थान द्वारा नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र का संचालन 2017–18 में विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। विगत वर्ष नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र अंतर्गत नशा मुक्ति के विभिन्न सेवाओं से जोड़ा गया। जनकल्याण सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत वर्ष नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र के अंर्तगत अनेक कार्यक्रम जैसे सामुदायिक कार्यक्रम, समुदाय न निर्माण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक,स्टेकहोल्डर मीटिंग, ग्रामीण जागरूकता कार्यकम, कलादल द्वारा विभिन्ना ग्रामों में कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक संचालन किया गया है। इसी प्रकार समूह चर्चा के अंतर्गत नशा मुक्ति पर समूह चर्चा को पूर्ण किया गया हैं और नशे मे जीवन यापन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोंच उत्पन्न करनें के लिये नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है ।

मद्य निषेध दिवस का आयोजन

समाज में नशा से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के

उदेश्य से संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया गया जिसके तहत लगभग 1130 लोगों को विभिन्न प्रसार माध्यम से जागरूक किया गया ।

विश्व क्षय दिवस पर जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन

जनकल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव एवं छ. ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान मे संचालित लिंक वर्कर स्कीम परियोजना के अंतर्गत छुईखदान विकासखण्ड के ग्राम सूराडबरी, डोगरगांव विकासखण्ड के सांगिनकछार व जन्तर राजनांदगांव विकासखण्ड के ठेलकाडीह मे संगोष्ठी व रैली का आयोजन किया गया जिसमे गांव की महिला समूह , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , पंच, सरपंच, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा मितानिनो ने भाग लिया । इस बैठक का आयोजन टीबी मुक्त भारत की संकल्पना को पुरा करने की दृष्टि से किया गया बैठक मे लोगो को बताया गया कि किस प्रकार टीबी हमारे देश के लिए विकट समस्या बनती जा रही है , तथा इसका इलाज संभव होने के बाद भी लोग जानकारी के अभाव व सामाजिक अवहेलना के डर से इसकी चपेट मे आ रहे है । कार्यक्रम के सुपरवाईजर दिपक साहू ,भीमसेन साहू ने बताया कि किन लोगो को टीबी हो सकती है तथा इनके लक्षण 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी का आना , भूख न लगना , वजन का कम होना , शाम को हल्का बुखार का आना , काम करते वक्त जल्दी थक जाना , कभी कभी बलगम या खखार के साथ खून का आना ये सब इसके लक्षण है इनमे से यदि दो या तीन लक्षण भी दिखाई दे तो ऐसे मरीज को देर न करते हुए तुरंत नजदीक के डी.एम.सी मे जाकर अपना खंखार/बलगम की जांच करवाना चाहिए यह जांच तथा इसका इलाज पुरी तरह से निःशुल्क है इसके लिए किसी भी प्रकार के पैसे खर्च करने की आवश्यकता नही पड़ती है । लैब टेकन्नीशन दिनेश सिन्हा ने टीबी के बारे मे उन्हे बताया गया कि यह ऐसी बीमारी होती है जो हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है तथा यह घर के ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते है उन्हे होने की संभावना ज्यादा होती है साथ ही साथ

टीबी मरीज को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यह भी जानकारी दी गई। यदि घर मे टीबी के मरीज है तो घर वालो को उनके खान पान तथा उनके दवाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह समय पर खाना व दवाईयां ले रहा है या नही । संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि संस्था राजनांदगांव जिले मे लिंक वर्कर परियोजना के द्वारा 100 से अधिक ग्रमो मे टी. बी. के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर बैठको का आयोजन, के माध्यम से संभावित टी. बी. के मरीजो की पहचान कर उनके खखार को इकठ्ठा करना, टी. बी. मरीजो से मिलकर उनकी स्थिति की पडताल करना, स्थानिय डाक्टरो से मुलाकात कर टी. बी. के जांच हेतु प्रेरित करना प्रमुख कार्य है। संस्था द्वारा वर्ष के दौरान 150 से अधिक संभावित व्यक्तियो का टी बी जांच कराई जा चुकी है। कार्यक्रमो को सफल बनाने मे परियोजना के डी आर पी जितेन्द्र जंघेल, सुपरवाईजर भीमसेन साहू,दिपक साहू लिंक वर्कर महेश्वरी जंघेल, सुरज भारती, विरेन्द्र साहू टूमन साहू, ग्राम जन्तर के सरपंच अमूता बाई साहू रोजगार सहायक खोमलाल ,सगिनकछार के सरपंच सुमरित बाई वर्मा, रोजगार सहायक ठगेश्रश्वर कंवर का विशेष सहयोग रहा।

स्वयं सहायता समूह को लीडरशीप ट्रेनिंग

जनकल्याण सामाजिक संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रायपुर के सहयोग से राजनांदगांव जिले में एक एक दिवसीय महिला स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का **समूह नेतृत्व प्रशिक्षण** आयोजित किये गये। समूह संचालन किस तरह से कर रहे हैं एवं समूह के माध्यम से क्या–क्या गतिविधियां की जा रही है इसकी भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच , उपसरपंच भी उपस्थित हुए जिन्होंने समूह नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को समूह संचालन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सराहना किये एवं समूह के उपस्थित पदाधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्ण उद्बोधन दिया। प्रशिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि समूह के कुशल संचालन के लिए समूह नेतृत्व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अतः कुशल संचालन के लिए समूह की अवधारणा, स्वयं समूह की आवश्कता, बचत एवं समूह संचालकों के दायित्व एवं नियमावली, समूह के पदाधिकारियों अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के कर्तव्यों पर विस्तार से जानकारी दिया गया। समूह सदस्यों की पात्रता 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों समूह के सदस्य बनने की पात्रता में आते हैं।एक समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य होना चाहिए यह बताया गया। समूह में नियमित बैठक, नियमित बचत, बैंक में खाता का संचालन एवं नियमों का पालन, रिकार्ड संधारण करना, ऋण का लेन देन आवश्यक है। बैंक से लिंकेज करके आपसी लेन देन छोटे छोटे घरेलू या कुटीर उद्योग को चलाया जा सकता है। बैंक हमेशा ऋण समूह के नाम पर स्वीकृत एवं जारी करता है। बैंक सामान्यतः

स्वयं सहायता समूह की सामूहिक बचत राशि के 01 से 04 गुना तक ऋण देती है। बैंक समूह की ग्रेडिंग करके राशि स्वीकृत करता है। प्रस्ताव पंजी, बचत पंजी, ऋण पंजी, बचत पंजी, बैंक पास बुक, व्यक्तिगत पास बुक नियमित बचत आदि का ग्रेडिंग कर बैंक, समूह को 01 से 04 गुना ऋण देता है। समूह के कुशल संचालन हेतु सभी तरह की गतिविधियों एवं दस्तावेजों की विस्तार से जानकारी देते हुए एवं उपस्थित प्रशिक्षुओं के किये गये योजनाओं, कार्यों व अनुभवों को साझा किया गया। आज इस प्रशिक्षण में 16 समूह के अध्यक्ष व सचिव मिलाकर कुल 32 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इस तरह कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हुए अंत में प्रेरणा गीत गायन के साथ प्रशिक्षण के समापन की घोषणा की गई।

बहु सेवा केन्द्र का संचालन

संस्था द्वारा वृद्धो के कल्याणर्थ समर्पण बहुसेवा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। जिसमें वृहदो के समय के सदुप्रयोग एवं उनके मनोरजन व रचनात्मकता को बानये रखने के लिए इस केन्द्र का संचालन गोटाटोला मोहला में किया जा रहा है । जिसमें प्रतिदिन ग्राम के 35 बुजुर्ग सेवा केन्द्र में आकर समय का सदुपयोग करते है । दिन का खाली समय ये यही व्यतीत करते है। समय समय पर इनके लीये खेल व प्रतियागिताओ का भी आयोजन किया जाता हैं।

Completion Report (August-December 2017) on Implementation of Community approaches to Total sanitation (CATS) for ODF in 40 GPs of Dabhara block, Janjgir Champa district & Sustainability of ODF in 2 blocks (50GPs) of Khairagarh and Chhuikhadan of Rajnandgaon District.

Consultation Workshop:

Prior to implementation of the project, there was a 2 days Consultation workshop organized for WASH Partners. The main objective of the workshop was to develop understanding of Result Matrix of all proposals of the partners, and accordingly frame formats, checklist for reporting. The workshop was organized on 17th-18th August 2017 at Courtyard Marriot Hotel, Raipur. All 3 WASH partners [CARD, Samarthan and Jan Kalyan Samajik Sansthan (JKSS)] participated and developed understanding of the proposals. Group exercise conducted enhanced the capacities of all participants. UNICEF officials including Chief, WASH specialist and consultants facilitated proceedings of the workshops. The workshop resulted to be beneficial both for the management and field workers to implement their responsibilities with more precision.

Project Staff Orientation Meeting:

On 23rd of August 2017, staff orientation organized was organized at the administrative office of JKSS in Rajnandgaon. The participants included head of organization, Project coordinators, field supervisors, surveyors and natural leaders. **Mr. Yogendra Singh**, UNICEF Consultant for Chhattisgarh and **Ms. Bistrita Sarmah**, Young professional, UNICEF Chhattisgarh led the orientation. The orientation intended to build capacity of the project staff on the structure of Result matrix, Programme output, performance indicators Baseline, Target and their means of verification. The project staffs were also oriented on quantitative and qualitative reporting format.
The orientation briefed about the inception in the project location with set of segregated activities and planning where importantly discussed points were

- Inception meeting with SBM-G authorities,
- Listing and finalizing Panchayats.
- Field office set up and deputing filed staff

- Engagement of natural leaders
- Planning and arrangements for conducting CATS training
- Selection and orientation of surveyors for baseline
- Analysis of the survey and sharing the report with DSBMG etc.

Timeline for every task were decided with everyone's inputs during the orientation.
The next important session included the explanation and clarity on reporting and different formats. To accomplish the aimed result several formats were shared and discussed with the participants with group exercise.

- Baseline survey format
- Pre-Triggering format
- Triggering format
- Follow up format
- Open defecation Elimination Plan (ODEP) format
- CATs training format included (Schedule, PPTs, Pre and Post course assessment, feedback and training reporting)
- Monthly Quantitative and Qualitative reporting format

Project staffs were capacitated through the orientation which helped them implement the programme activities effectively.

Inception Meeting with district, block and SBM-G officials:

JKSS initiated coordination meeting with district officials and SBM-G staff.
On 24th and 25th August, Janpad CEOs of Khairagarh (Gyanendra Singh Thakur) and Chhuikhadan (S. Lakra) were briefed about the project. Required project list of 25 GPs from each block were shared with them as guided by DSBMG. They were requested by the JKSS to issue letters for Sapanch and secretaries of selected panchayats to extend support in programme implementation.

On 29th August 2017 meeting done with Zila Panchayt CEO, Janjgir Champa (Ajit Basant IAS) and Japand CEO Dabhara (Nitin Uppadhya) Both of them welcomed the initiative in the district but they required authorization letter from State SBM-G office without which the organization was not permitted to work in the district. The issue was taken to the UNICEF and state Mission Director's office.

Selection Orientation and Volunteers for Baseline survey:

Form Chhuikhadan and Khariagarh blocks of Rajnandgaon district 25 + 25 volunteers were selected with the consultation of village leaders, sarpanch, panchs and secretary. After their selection, on 4th Sept.2017 one orientation held at Laxmanpur GP of Chhuikhadan block where all 25 volunteers from 25 different GPs together with 4 field supervisors and 2 Coordinators participated. The next orientation was held on 20th Sept. 2017, at Janpad office, for volunteers of Khairagarh block where selected 25 volunteers and 2 coordinators participated.

UNICEF consultant, Yogendra and Young Professional, Bistrita were resource person to lead the orientation. Both of them simplified the baseline format and accordingly oriented to conduct the survey. The participants were well made understood with regard to the activities they were to perform and instructed to use and sharpen their observation skill. These volunteer were assigned task to complete the survey of each household in the panchayats.

Baseline study:

It was planned to conduct a baseline survey in the project locations to study the present sanitation situation and ODF status. The baseline was conducted in 50 GPs of Khairagarh, Chhuikhadan block of Rajnandgaon district.

For this paid volunteers were selected from the panchayats and were duly oriented on the formats prepared to conduct the study. Similarly in 40 GPs of

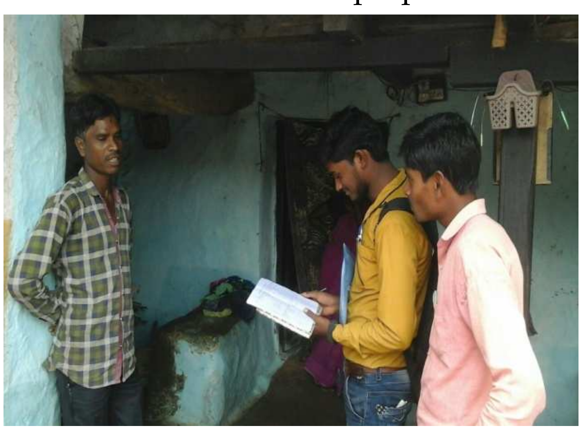

Dabhra block of Janjgir Champa district, baseline study conducted with same methodology. Reports were shared with district administration and UNICEF.

The major findings from Rajnandgaon project found that there is coverage gaps, and technologies adopted were not up to the mark of safe technology defined by the SBM-G guideline. Findings and observation made that practice of open defecation is still prevailing, visible human excreta found in the village, school, anganwadi, and other public places. Community participation and monitoring is found to be negligible.

However baseline study 40 GPs of Dabhara block, not fully complied. Some key indicators were found missing during the survey. Information on institutions like school, Anganwadi and committees' engagement were not filled from the volunteers which in a short term project was difficult to get with time constraint, since delay in permission from state SBM-G office to district. With whatever information of Dabhra block received compilation done.

Consultation on ODEP and sustainability planning meeting:

In all 50 GPs Chhukhadan and Khairagarh blocks of Rajnandgaon district ODE planning meeting completed. The ODE planning to be formatted in the prescribed format are being consolidated from the GPs.

PRI members, Anganwadi workers, Mitanin, men and active women especially from SHGs of the GPs participated in the process.

The exercise and discussion involved:

a. Mapping of households practicing open defecation and without toilet via Drawing Sheet.
b. Discussion on advantages of having a toilet
c. Bad repercussion of OD, triggering tools utilized
d. Ensure usage of toilets available at households, and encourage constructing toilets to families not having toilets.
e. 100% coverage and 100% ODF GPs
f. Nigrani Committee framed for checking Open defecation.
g. Imposing fine to persons found practicing OD.
h. Not used toilets are to cleaned and made to the condition for usage

i. Morning and evening follow up for checking OD
j. For time being households having no toilets were asked to use toilets of anganwadi, GP building.

CATS training for Motivators and Natural leaders:

The 3 days CATS training was organized in total of 10 batches where total of 387 participants were trained on CATS. The core aim and objectives of the training were to prepare bunch of good resource as a facilitator who would develop understanding of

a. CATS and SBCC leading of social mobilization.
b. Disadvantages of health repercussion due to unhygienic habits.
c. Different Sanitation programme and SBM-G.
d. All steps of CATS process.
e. Safe technology options for rural areas.
f. Roles for creating and sustaining ODF and sustainability.

The 3 days training highlighted the core subject matter of learning the CATS process. The training included the topics of

1. ODF and its definition
2. CATS as a methodology and process
3. Stages of CATS process- Pre trigerring, Triggering and Follow up
4. Different flagship programmes for sanitation.
5. Technical options for safe sanitation practice
6. Different Trigger tools to create shame, fear and disgust
7. Field demonstration of triggering exercise
8. Technical difference of Leach pit and Septic tank model
9. Pre and post test of the participants

Important short documentary films screened which depicted different diseases caused due to OD, environment and water how get contaminated, deterioration in economic condition, oral faecal route, etc.

Key output of the training emerged that 65% (251) participants told that they able enough to perform the triggering tools and have learnt CATS process thoroughly.

Pre triggering and triggering details:-

CATS implementation with pre triggering and triggering activities carried on for Janjgir Champa district in the project location of Dabhra block. Out of the total of 85 GPs in the block 40 GPs poor performing GPs were identified with block and dist SBM-G staff. Out of 40 GPs 26 GPs were triggered and followed up in 2 months time. Due to late start of the project other 14 GPs were not covered. This was also due to frequent change of dates for triggering activities.

In all 26 GPs also held school triggering with children and rally conducted, including Gandhigiri. Permission granted from the head teachers of the GPs to participate in the triggering session. Children are always considered to be vital change agent to bring in behavioural change in their communities. There were instances where parents literally were triggered and cried when their children asked for toilets requesting in Gandhigiri mode.

In a total of 26 triggering session, 3926 community members were involved (1246 men, 1261 women and 1319 children).

However conclusion could be drawn from the triggering experience and village visit that CATS process was not implemented as it was to be. The team felt that this has been implied as events to cover up the numbers, and participation from community never generated in this fashion.

While majority of the GPs are influenced with incentive money for toilets a very few of them have realized the benefits of having toilet at Households.

Morning and Evening Vigilance with Nigrani Committee:

In Rajnandgaon district (Khairagarh + Chhuikhadan) activities speeded up and framed and activated Nigirani Sammittee in all targeted 50 GPs. They are oriented on their roles and responsibilities. Sarpanch panchs, SHG women, Anganwadi workers and Mitanin and school children, natural leaders and other influencers actively conduct morning and evening vigilance to discourage OD practice.

Similarly in the project field of Janjgir Champa district at GPs of Dabhra block in all 26 triggered GPs Vigilance Committee framed after triggering session. These committees are managing and monitoring OD spots to stop people going for defecating in open. Initially on daily basis and later frequently these committees are guided to carry forward their effort till the ODF status is achieved and sustained. The support from GPs also received to them and GPs have decided to impose fine on those who will be found defecating in open by the committee.

Evening Swachhata Baithka:

It's an event for facilitating discussion by Motivational ODF film screening followed by discussion. This has been undertaken in GPs where triggering process has been completed and hence this is a Post follow up activity. The bollywood movie "Toilet ek Prem Katha" has been selected to illustrate in every GPs. In a total of all 40 GPs of Dabhra block of Janjgir champa this was conducted . This has been successful in gathering good crowd to learn from entertainments media.